मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 18, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 61 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 81 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने रतलाम की ग्राम पंचायत प्रीतमपुरा एवं मांगरौल के किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा न मिलने,
(2) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना अस्पताल में नियम विरूद्ध फर्सीकरण कराये जाने,
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा नगर में रतलामी नाका से अरनिया पीथा मण्डी तक विद्युतीकरण न होने,
(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एल.एल.बी. की कक्षायें प्रारम्भ न होने,
(5) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने कटनी जिले के महापौर एवं अध्यक्ष द्वारा वाहनों का दुरूपयोग किये जाने,
(6) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य ने मुरैना जिले में अ.जा. तथा अ.ज.जाति कल्याण की राशि बैंको द्वारा प्रदाय न करने से कार्य न होने,
(7) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य ने अंत्योदय समिति द्वारा आवासी भूमि पर निवास हेतु पट्टे धारियों को क्रय-विक्रय किये जाने की सुविधा देने,
(8) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने इंदौर-उज्जैन संभाग में दूषित पानी को बेचे जाने तथा
(9) श्री कैलाश चावला, सदस्य ने नगर परिषद् एवं नगरपालिका से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांवों को आवास एवं होम स्टेट योजना का लाभ न मिलने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा अपनी शून्यकाल की सूचना पढ़ने पर माननीय अध्यक्ष ने उठाए गए विषय को विलोपित करने का निर्देश दिया और व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य ने हाथ उठाकर मुझसे अनुमति मांगी जबकि उनका नाम शून्यकाल की सूचना में नहीं था और मैंने यह विचार करके कि क्षेत्र की कोई बड़ी आवश्यक जरूरी समस्या है जिसको वे यहां उठाना चाहते है उनको बोलने की अनुमति दी, पर मुझे खेद है कि वे इस तरह की सदभावना का दुरूपयोग करते है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदभावना का दुरूपयोग नही करे. आगे से माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे. आपको अनुमति इसलिये दी जाती है कि क्षेत्र की महत्पूर्ण समस्याएं उठाये, उनमें विवादास्पद विषय जानबूझकर इस तरह से उठाना सदन के समय का दुरूपयोग है.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-14 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखीं.

(3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने –

(क) एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-13, तथा

(ख) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 पटल पर रखे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 1737-म.प्र.वि.नि.आ,-2015, दिनांक 28 सितम्बर, 2015,
(ii) क्रमांक 1854/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015,
(iii) क्रमांक 1875/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015,
(iv) क्रमांक 1709/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 18 सितम्बर, 2015, तथा
(v) क्रमांक 813/म.प्र.वि.नि.आ./2015, दिनांक 8 मई, 2015

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15,

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014- 15, तथा

(घ) दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(6) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/2ए, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 पटल पर रखी.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक),

(ख) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014 पटल पर रखे.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने सागर नगर में विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के झूठे प्रकरण बनाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया. जिसमें विधायक की उपस्थिति में उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की गई.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत एवं डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्यगण ने ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा द्वारा श्रमिकों के लिए सेवा निवृत्ति आयु संबंधी शासन के आदेश का पालन न करने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 74-रीवा से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 136-सिवनी-मालवा से निर्वाचित सदस्य, श्री सरताज सिंह को विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने याचिका समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां एवं सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छियासठवां से अस्सीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(2) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(3) श्री विष्णु खत्री (जिला-भोपाल)
(4) श्री वीर सिंह पवार (जिला-विदिशा)
(5) श्रीमती शकुन्तला खटीक (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

9. वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

(उपाध्यक्ष महोदय ने तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 10.12.2015 को 2 घण्टे का समय नियत किया.)

10. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 46 सन् 1993) संसद द्वारा निरसित किया जाए.

डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण द्वारा संकल्प पर विचार व्यक्त किए गए.

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

(अपराह्न 12.50 से 3.07 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाल लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन, नेता प्रतिपक्ष
(2) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री हरदीप सिंह डंग
(4) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री दिनेश राय
(6) श्री मुकेश नायक
(7) श्री के.पी. सिंह

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गौरीशंकर बिसेन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 विषयक

(2) उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद 9 के उप पद (2) में विचार हेतु सम्मिलित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015, (क्रमांक 15 सन्2015) के संबंध में विधेयक के भारसाधक सदस्य माननीय राजस्व मंत्री द्वारा अनुरोध किया गया है कि विधेयक में कुछ परिवर्तन किया जाना है. अत: इस विधेयक को आज विचार में न लिया जाकर इसे सत्र के आगामी कार्य दिवस में सम्मिलित किया जाये.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि इस विधेयक में परिवर्तन उपरांत सोमवार, दिनांक 14.12.2015 को पेश कर सदस्यों को भी इसमें संशोधन प्रस्तुत करने का एक दिन का अवसर प्रदान किया जाये. आसंदी द्वारा सहमति प्रदान की गई.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

श्री मुकेश नायक, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ.

अपराह्न 4.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 (19 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 दिसम्बर, 2015